बिहार सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

:: सं क ल्प ::

पटना, दिनांक–

अ0सू0सं0–प्र0–II–अवैध खनन–107/24–........../एम0, जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत दिनांक 21.06.2024 को अवैध खनन एवं ओवरलोडेड वाहनों की संघन जाँच/छापेमारी भागलपुर जिला के पदाधिकारियों के माध्यम से करायी गयी। उक्त छापेमारी में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा ओवरलोडेड पाये गये 152 वाहनों पर ₹1,04,91,200/–की शमन अधिरोपित किया गया। जिला खनन कार्यालय द्वारा कुल–260 वाहनों के विरूद्ध 130 वाहनों पर ₹3,25,00,000/–दण्ड अधिरोपित किया गया। बड़े पैमाने पर बिना चालान एवं ओवरलोडेड वाहनों के परिवहन से स्पष्ट है कि श्री केशव कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं किया गया, जिसके कारण सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति हुई है।

2. श्री केशव कुमार पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 3675 दिनांक 03.09.2024 से उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री केशव कुमार पासवान द्वारा पत्रांक–1790 दिनांक 18.09.2024 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री केशव कुमार पासवान द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षोपरांत उनका बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. श्री केशव कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा कार्य में लापरवाही एवं अपने पदीय दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं की गई है। श्री केशव कुमार पासवान प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्री केशव कुमार पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत हुई। तद्‌लोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5053 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा श्री केशव कुमार पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, भागलपुर के पत्रांक 120 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है, का मंतव्य दिया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 2024 दिनांक 03.04.2025 से आरोपित कर्मी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिला खनन कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक 603 दिनांक 19.04.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया

D:\Sanjay\arop/Sankalp

गया। द्वितीय कारण पृच्छा का बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री केशव कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर को "संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक" की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(vi) के अंतर्गत श्री केशव कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर को **"संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक"** की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–अवैध खनन–107/24–................/एम0, पटना, दिनांक....................
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–अवैध खनन–107/24–................/एम0, पटना, दिनांक....................
प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–अवैध खनन–107/24–................/एम0, पटना, दिनांक....................
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–अवैध खनन–107/24–................/एम0, पटना, दिनांक....................
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

P.T.O.

D:\Sanjay\arop/Sankalp

ज्ञापांक–प्र0–II–अवैध खनन–107 / 24–................... / एम0, पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–श्री केशव कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–अवैध खनन–107 / 24–3328 / एम0, पटना, दिनांक 20/06/25

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / राजपत्रित स्थापना (मु0) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/25

सरकार के अपर सचिव

D:\Sanjay\arop/Sankalp